

भा. 1

8267113

। प्रस्तुतकर्ता अथवा प्रार्थी द्वारा रखा जाने वाला ।

उप निबंधक कार्यालय
चन्दौली

कम सं० 12599

लेख या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक 16-Jul-2013

प्रस्तुतकर्ता या प्रार्थी का नाम आरिफ रहमान उर्फ आरिफ मोहम्मद / पासपोर्ट

लेख का प्रकार विक्रय अनुबंध विलेख

प्रतिफल की धनराशि 0.00 / 2,630,000.00

1. रजिस्ट्रीकरण शुल्क 10,000.0
2. प्रतिलिपिकरण शुल्क 20
3. निरीक्षण या तलाश शुल्क
4. मुख्तारनामा के अधिप्रमाणीकरण के लिए शुल्क
5. कमीशन शुल्क
6. विविधि
7. यात्रिक भत्ता

1 से 6 तक का योग 10,020.0

शुल्क वसूल करने का दिनांक 16-Jul-2013

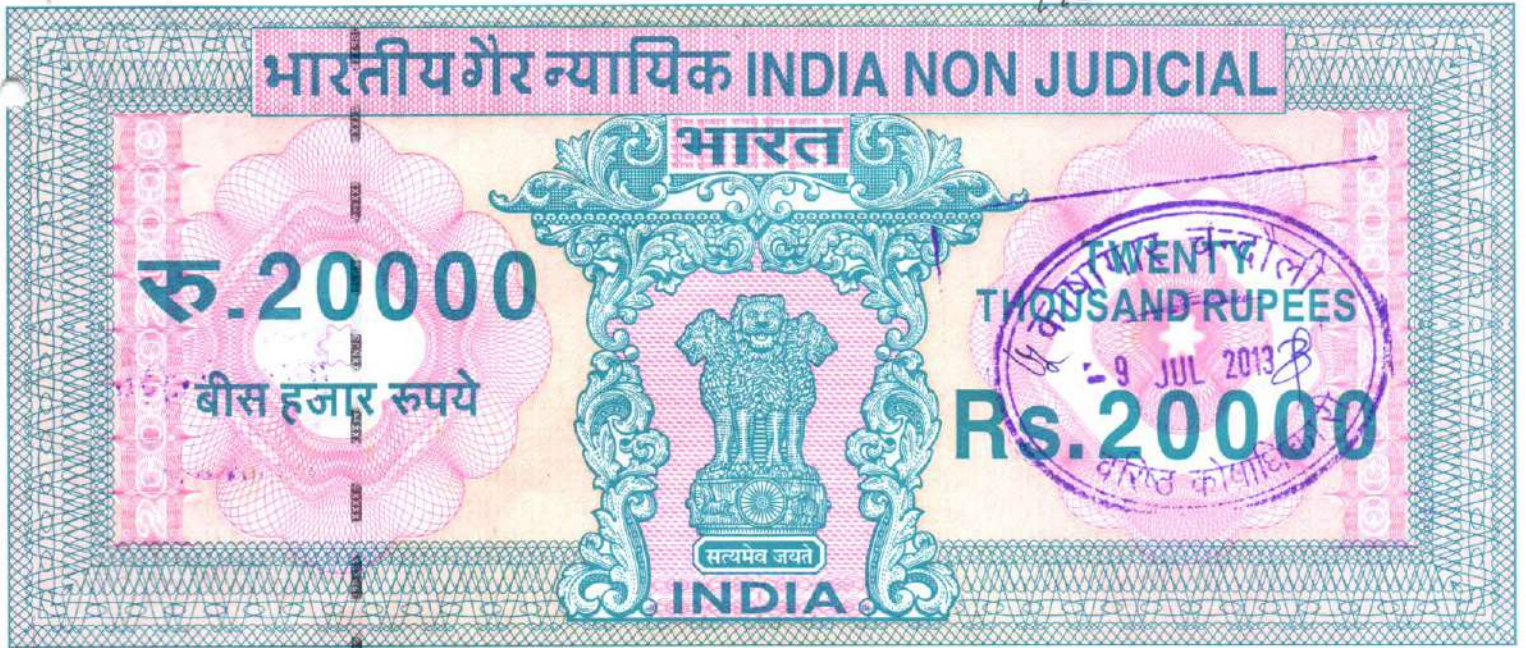
दिनांक जब लेख प्रतिलिपि या तलाश प्रमाण पत्र

वापस करने के लिए तैयार किया 16-Jul-2013

उपनिबंधक

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

8267/13



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 202545



डेवलपर्स विलेख

श्री आरिफ रहमान उर्फ आरिफ मोहम्मद एवं श्री खालिद जमाल
पुत्रगण स्व० अनिसुरहमान निवासीगण मकान नं० बी.18/205-2
मालती बाग वाराणसी।

..... प्रथम पक्ष/भू-स्वामी।



For M.M. Agrotech & Developers

Handwritten signature

Partner





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 202546

(2)

व

एम.एम. एग्रोटेक एण्ड डेवलपर्स रजिस्टर्ड कार्यालय मकान नं० बी.21/51-आर-2- प्रथमतः तल कमच्छा, वाराणसी जरिये साझीदार मे० रुद्रा रियलटेक प्रा० लि० रजिस्टर्ड कार्यालय सी० 27/273 सी-13, दास नगर कालोनी, मलदहिया, वाराणसी जरिये डायरेक्टर आनन्द कुमार अग्रवाल पुत्र स्व० अशोक कुमार अग्रवाल निवासी सीके० 65/159ए, पियरीकला, चौक, वाराणसी।

..... द्वितीय पक्ष/डेवलपर्स।

विदित हो कि आराजी नं० 512 मि० रकबा 0.789 हे० स्थित मौजा गोधना, परगना धूस, तहसील व जिला चन्दौली एकमात्र प्रथम पक्षगण के स्वामित्व एवं अध्यासन में चली आ रही है, जो हम प्रथमपक्ष को अपनी माता सकीना बीबी पत्नि स्व० अनिसुरहमान से बक्शीशनामा द्वारा प्राप्त हुई है तथा उन्होंने खरपत्तू पुत्र खुड़बुड़ व रामा पुत्र भिक्खु निवासी महेवा नई बस्ती परगना धूस डाकखाना मुगलसराय जिला वाराणसी वर्तमान में जिला चन्दौली से दिनांक 09.08.1988 को कय किया था। जो कि सब रजिस्ट्रार चन्दौली के कार्यालय में बही संख्या 1 जिल्द नं० 1998 के पृष्ठ 125/127 के कमांक संख्या 3598 पर दिनांक

[Signature]



[Signature]



For M.M. Agrotech & Developers

[Signature]

Partner



3
912118
मुख्य रोकड़िया
कोरापार चन्दौली

800

शब्द लगभग

निवासी पियरी कला चौक वाराणसी



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 202547

(3)

27.10.1988 को दर्ज है उपरोक्त वर्णित जायदाद पर हम प्रथम पक्षगण बतौर मालिक काबिज दखील रहकर उसका हर तरह से उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे हैं एवं जायदाद मजकूर हर लाइसेंसी किरायेदारी सट्टा आदि से बाधित नहीं है, और न ही उपरोक्त सम्पत्ति कही रेहन, सट्टा, मुकदमें में विचाराधीन, निषेधाज्ञा, सदमा, कुर्की, जेर जमानत आदि से सम्बद्ध है। प्रथम पक्ष की दिली ख्वाहिश है कि वह उपरोक्त जायदाद पर बहुमंजिली आवासीय भवन, व्यावसायिक भवन एवं एकल स्वामित्व डुपलैक्स भवनों का निर्माण करें परन्तु तकनीकी जानकारी के अभाव में हम प्रथम पक्षगण योजना को मूर्त रूप देने में स्वयं को असमर्थ पा रहे हैं, इसलिए हम प्रथम पक्षगण ने द्वितीय पक्ष एम. एम. एग्रोटेक एण्ड डेवलपर्स रजिस्टर्ड कार्यालय मकान नं० बी. 21/51-आर-2- प्रथमतः तल कमच्छा, वाराणसी जरिये साझीदार मे० रुद्रा रियलटेक प्रा० लि० रजिस्टर्ड कार्यालय सी० 27/273 सी-13, दास नगर कालोनी, मलदहिया, वाराणसी जरिये डायरेक्टर आनन्द कुमार अग्रवाल पुत्र स्व० अशोक कुमार अग्रवाल निवासी सीके० 65/159ए, पियरीकला, चौक, वाराणसी।

[Signature]


[Signature]



For M.M. Agrotech & Developers

[Signature]
Partner



बिचय सा-त फुल्लरडा २१०१०१

कोषागार चन्दौली

Practicals



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

जे० के० यादव , प्रमोदी
उप निबन्धक, चन्दौली
चन्दौली

16/7/2013



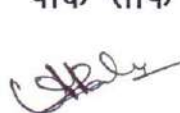
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

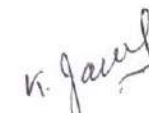
A 202548

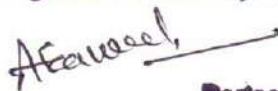
(4)

से प्रस्ताव किया कि द्वितीय पक्ष, हम प्रथम पक्ष की जमीन पर अपने खर्च से बहुमंजिली आवासीय भवन, व्यावसायिक भवनों का निर्माण करें एवं बदले में निर्मित अनिर्मित एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में 72 प्रतिशत हिस्से का भाग (मय जमीन के साथ) रख ले या अपने नामिनी या किसी अन्य के हक में अपने हिस्से का बैनामा, सट्टा किरायेदारी लीज आदि करें उससे प्रथम पक्ष को कोई उज्र व एतराज नहीं होगा। उस पर द्वितीय पक्ष ने अपनी सहमति प्रदान करते हुए प्रथम पक्षगण के प्रस्ताव को कबूल व मंजूर कर लिया लिहाजा पक्षकारगण स्वस्थ चित्त प्रसन्न मन से बिना किसी दबाव के स्वस्थ मस्तिष्क से प्रथम पक्षगण जमीन मालिक व द्वितीय पक्ष डेवलपर्स अपने वारिसानों व कायम मुकामानों के साथ अग्रलिखित शर्तों व नियमों के आधार पर एक दूसरे को पाबंद करते व होते हैं :-

1. यह कि प्रथमपक्ष जायदाद मजकूर जिसका विस्तृत विवरण वसीका हाजा के अन्त में अनुसूची-प्रथम में दिया गया है, के मालिकान है और जायदाद मजकूर हर प्रकार के वारदेन से पाक साफ हैं




For M.M. Agrotech & Developers

Partner



જાન્યુ



कोषागार चन्दौली

Registration No.: 8267

Year : 2,013

Book No. : 1

0101 आरिफ रहमान उर्फ आरिफ मोहम्मद / पासपोर्ट

स्व० अनिसुर्रहमान

मालती बाग शहर वाराणसी

व्यापार



0102 खालिद जमाल / पासपोर्ट

स्व० अनिसुर्रहमान

मालती बाग शहर वाराणसी

व्यापार





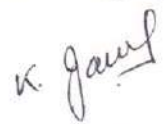
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

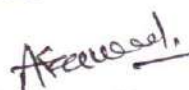
A 202549

(5)

2. यह कि जायदाद मजकूर में स्वामित्व सम्बन्धी किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है और यदि कोई विवाद परिलक्षित होता है या किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न किया जाता है तो उसे समाप्त कराने की जिम्मेदारी प्रथमपक्ष की है और भविष्य में भी होगी। यदि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई दावा किया जाता है और उसकी वजह से द्वितीयपक्ष को किसी प्रकार की कोई क्षति होती है तो उसकी भरपाई करने की जिम्मेदारी प्रथमपक्ष की होगी।
3. यह कि जायदाद मजकूर में किसी प्रकार की कोई मांग किसी शासकीय अथवा अर्द्ध-शासकीय विभाग का देय नहीं है और ना तो किसी महाजन अथवा बैंक अथवा कम्पनी आदि से उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में ऋण लिया गया है। इसके विपरीत यदि कोई तथ्य पाया जाता है तो उसकी देनदारी प्रथमपक्ष की है और होगी।
4. यह कि "डेवलपर्स अनुबन्ध" के आधार पर बहुमंजिली इमारत निर्मित हो जाने के पश्चात वी0डी0ए0 खर्च, सिटी डेवलपर्स चार्ज, सर्विस टैक्स, कम्पाउण्डिंग/तवान का खर्च व अन्य




For M.M. Agrotech & Developers

Partner


ଅନ୍ଧାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ରଦ୍ୱାରା

3

912113

सुरव्य रोकड़िया

कोषागार चन्दौली

क्रेता

Registration No. : 8267

Year: 2,013

Book No. : 1

0201 आनन्द कुमार अग्रवाल बजरिये डायरेक्टर / पैन कार्ड

स्व० अशोक कुमार अग्रवाल

पियरी कला चौक वाराणसी

व्यापार





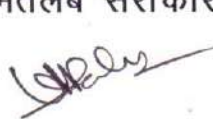
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

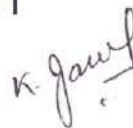
A 202550

(6)

खर्च काटकर ही उसका 72 प्रतिशत अंश द्वितीयपक्ष का होगा तथा शेष 28 प्रतिशत अंश प्रथमपक्षगण का होगा।

5. यह कि द्वितीय पक्ष जायदाद हस्ब तफसील जैल पर बहुमंजिली इमारत का निर्माण करेयेगा और उक्त निर्माण में जो भी धन व्यय होगा उसे लगाने की जिम्मेदारी द्वितीयपक्ष की होगी, उससे प्रथमपक्ष से कोई मतलब सरोकार नहीं होगा।
6. यह कि सम्पूर्ण निर्माण का 28% (अट्टाईस प्रतिशत) निर्माण मय आनुपातिक अंश भूमि, जमीन के बदले में प्रथमपक्ष को प्राप्त होगी, उससे द्वितीयपक्ष से कोई मतलब सरोकार नहीं होगा। इस विलेख के जरिये प्रथमपक्ष को अधिकार प्राप्त है व द्वितीयपक्ष द्वारा भी इस विलेख के जरिये प्रथमपक्ष को अधिकृत किया जा रहा है कि प्रथमपक्ष अपने हस्ताक्षर से अपने अंश के फ्लैट मय आनुपातिक अंश भूमि को अपने मन मुताबिक किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को विक्रय कर सकेंगे, मूल्य प्राप्त करेंगे अथवा उसे रेहन अथवा बंधक रखेंगे, उसका प्रतिफल प्राप्त करेंगे, उससे द्वितीयपक्ष से कोई मतलब सरोकार नहीं होगा।





For M.M. Agrotech & Developers




Partner



20000/- एम.एस.एम. एम.एस.एम. डेवेलपर्स कमिटी वाराणसी।

वसिष्ठ आनंद एम.एस.एम. डेवेलपर्स

३

१०/१३

मुख्य रोकड़िया

कोषागार चन्दौली

For M.S.M. Agriotech & Developers

Partners





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 202551

(7)

7. यह कि उसी प्रकार द्वितीयपक्ष सम्पूर्ण निर्माण में अपने लगे हुए खर्चे के एवज में सम्पूर्ण निर्मित अंश का 72% (बहत्तर प्रतिशत) निर्माण मय आनुपातिक अंश भूमि का मालिक होगा और द्वितीयपक्ष को अधिकार होगा कि वह अपने 72% (बहत्तर प्रतिशत) अंश को अपने मन मुताबिक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के पक्ष में अनुबन्ध तहरीर करे, एलाटमेन्ट लेटर जारी करे अथवा इच्छुक कंतागण के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित करे, उससे प्रथमपक्ष से कोई मतलब सरोकार नहीं होगा। उक्त विक्रय विलेख का सम्पूर्ण प्रतिफल द्वितीयपक्ष प्राप्त करेगा। इस विलेख के जरिये प्रथमपक्ष द्वितीयपक्ष को अधिकार देते हैं व अधिकृत करते हैं व मुख्तार नियुक्त करते हैं कि द्वितीयपक्ष अकेले अपने हस्ताक्षर से अपने अंश 72% (बहत्तर प्रतिशत) मय अनुपातिक अंश भूमि को अपने मनमुताबिक कंतागण को विक्रय करे, उसकी बाध्यता प्रथमपक्ष पर भी होगी, उसके सम्बन्ध में प्रथमपक्ष कभी भी कोई एतराज नहीं करेंगे।
8. यह कि प्रथमपक्ष/भू-स्वामी सम्पूर्ण पार्किंग का 28% (अट्ठाइस प्रतिशत) अंश प्राप्त करेगा व

[Signature]


[Signature]


For M.M. Agrotech & Developers

[Signature]

Partner



गरीपे. आभा-पुष्प (अ-पुष्प)

912113

मुख्य रोकड़िया

कोवाभार चन्दौली



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 202552

(8)

द्वितीयपक्ष/विकासकर्ता सम्पूर्ण पार्किंग का 72% (बहत्तर प्रतिशत) प्राप्त करेगा व प्रथमपक्ष/भू-स्वामी सम्पूर्ण छत का 28% (अट्टाइस प्रतिशत) अंश प्राप्त करेगा व द्वितीयपक्ष/विकासकर्ता सम्पूर्ण छत का 72% (बहत्तर प्रतिशत) प्राप्त करेगा व प्रथमपक्ष या द्वितीयपक्ष अपने अंश को किसी भी फ्लैट मालिक को छत आवंटित कर सकता है परन्तु आवण्टी छत पर स्थाई निर्माण नहीं कर सकेगा।

9. यह कि द्वितीयपक्ष सम्पूर्ण इमारत में एक समान रुप से समान गुणवत्ता व मानक के अनुसार समान लगायेंगे।
10. यह कि द्वितीयपक्ष मानचित्र स्वीकृत होने से 10 (दस) वर्ष के अन्दर सम्पूर्ण निर्माण पूरा कर लेगा और यदि उक्त अवधि के अन्दर सम्पूर्ण निर्माण पूरा नहीं हो पाता, तो प्रथमपक्ष द्वितीयपक्ष को 12 (बारह) माह का अतिरिक्त समय ओर देगा, परन्तु यदि किसी नोटिस या मुकदमा या नोटिफिकेशन सरकारी या अर्द्ध सरकारी नोटिस के व्यवधान के कारण अथवा किसी दैवी आपदा के कारण अथवा भूकम्प, बाढ़, राशनिंग आदि के कारण अथवा कर्फ्यू आदि के कारण कार्य में रुकावट आता है तो उक्त रुकावट की अवधि का समय

[Signature]

[Signature]

For M.M. Agrotech & Developers

[Signature]

Partner

200001 रुम० रुम० रुमोरेक रुम० डेली पाली अमेरिका वाराजकी

जमिनी अमल अडाला



9/12/13

मुख्य रोकड़िया

कोषागार बन्दोली

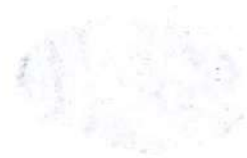
INDIA

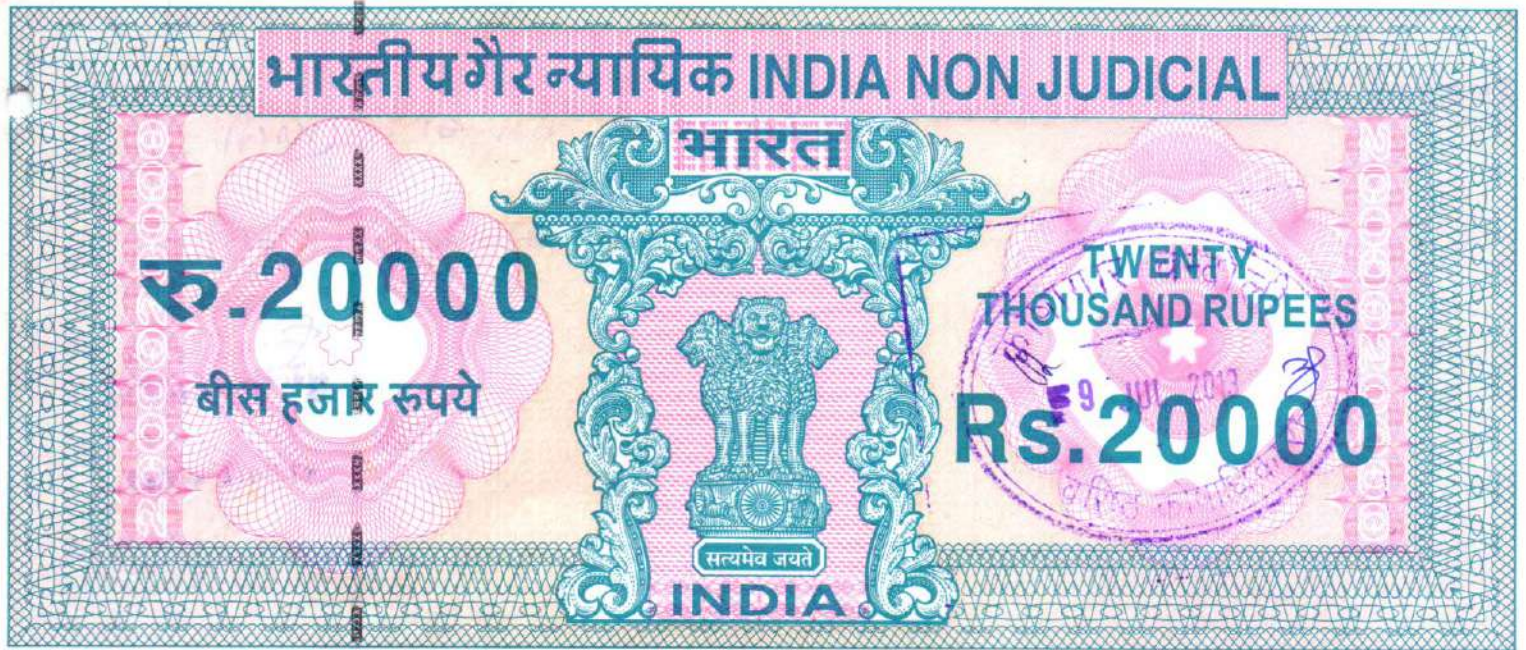
महोदय, जयपुर
महोदय, जयपुर
महोदय, जयपुर
महोदय, जयपुर
महोदय, जयपुर
महोदय, जयपुर
महोदय, जयपुर
महोदय, जयपुर
महोदय, जयपुर
महोदय, जयपुर

महोदय, जयपुर
महोदय, जयपुर
महोदय, जयपुर
महोदय, जयपुर
महोदय, जयपुर
महोदय, जयपुर
महोदय, जयपुर
महोदय, जयपुर
महोदय, जयपुर
महोदय, जयपुर

महोदय, जयपुर

महोदय, जयपुर





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 202544

(9)

अतिरिक्त समय के रुप में द्वितीयपक्ष को अतिरिक्त प्राप्त होगा।

11. यह कि यदि कार्य के दौरान स्वामित्व सम्बन्धी दोष के कारण किसी प्रकार कार्य में रुकावट उत्पन्न किया जाता है तो उसे सुलझाने की जिम्मेदारी प्रथमपक्ष की होगी और उसकी वजह से जितने समय तक कार्य रुका रहेगा, उक्त समय द्वितीयपक्ष को अतिरिक्त रुप से प्राप्त होगा।
12. यह कि यदि द्वितीय पक्ष द्वारा निर्माण कार्य कराये जाने के दौरान प्रथम पक्ष की तरफ से कोई अन्य दावेदार उत्पन्न होकर किसी प्रकार की कानूनी अड़चन पैदा कर दे जिस कारण द्वितीय पक्ष द्वारा कार्य पूर्ण कराना संभव न हो सके या उस वक्त के काबिज हकदारों को किसी प्रकार की असुविधा हो या काबिज हकदारों से उनका हक निकल जाए ऐसी परिस्थिति में प्रथम पक्षगण की जिम्मेदारी होगी कि वह उत्पन्न विवादित मामले को अपने हक से या तो रुपया देकर सुलह समझौता कर विवाद का निस्तारण करें अन्यथा प्रथम पक्ष उस वक्त के काबिज होने वाले हकदारों को क्षतिपूर्ति कानूनी दर के हिसाब से मय ब्याज के साथ रुपया अदा करें



For M.M. Agrotech & Development

Akash

Partner



૨૦૦૦૦૧ ૨૪૦ ૨૪૦ ૨૪૦૨૬૬ ૨૦૨૬ ડેવલપર્સ વાલિડેશન

જાહેર -

જ્ઞાન-વૃદ્ધિ કાર્યકરો

મુલ્ય સંકલિપ્ત

કોવાનર સંદર્ભ



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Y 298563

(10)

इससे द्वितीय पक्ष का कोई वास्ता या सरोकार न होगा, साथ ही यदि द्वितीय पक्ष विवाद के कारण अपने को निर्माण कार्य करने में कानूनी रूप से पूर्णतया असमर्थ पाता है तो उस स्थिति में द्वितीय पक्ष को यह अधिकार होगा कि उसके द्वारा कुल खर्च किये गये रकम को प्रथम पक्षगण व उनके वारिसानों की सम्पत्तियों से बैंक ब्याज की दर के साथ वसूल लें। इसमें प्रथम पक्षगण को कोई आपत्ति नहीं है।

13. यह कि प्रथमपक्ष ने आज द्वितीयपक्ष को जमीन मजकूर पर कब्जा दखल करा दिया ओर द्वितीयपक्ष बहैसियत बिल्डर/डेवलपर जमीन पर काबिज होकर निर्माण कार्य करे, उसमें अवरोध उत्पन्न करने का अधिकार प्रथमपक्ष को न होगा।

14. यह कि द्वितीय पक्ष बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन तथा अन्य अनुमति जिनकी आवश्यकता निर्माण कार्य के लिये आवश्यक है, के लिये प्रार्थना पत्र देने के लिए अधिकृत रहेगा किन्तु उसके किसी भी भार की जिम्मेदारी प्रथमपक्षगण की नहीं होगी।

[Signature]

V. Jaiswal

For M.M. Agrotech & Developers

A. K. Jaiswal

Partner



9 171003 2212

सदस्य का नाम कमा

सदस्य का पता कमा

सदस्य की उम्र 1000

सदस्य का पता जिला-वन्दोली

सदस्य का नाम अमल कुमार

सदस्य का पता जिला-वन्दोली

सदस्य का नाम नाइसन्स नं० 138 अवधि 31/5

लेखापत्र नं० 9
समय (ज. नं० 138) डबल पर्स कागज का वाराणसी
जोएल कानन्द कुमार कागज





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Y 298564

(11)

15. यह कि प्रथमपक्ष/भू-स्वामी निर्मित क्षेत्र के 28% (अट्टाईस प्रतिशत) व द्वितीयपक्ष/विकासकर्ता 72% (बहत्तर प्रतिशत) के अपने-अपने अंश पर जो भी कर, जलकर, सीवर कर, विद्युत कर, आयकर, सेवाकर, सम्पदाकर, आदि जो भी कर केन्द्र सरकार अथवा प्रांतीय सरकार अथवा स्थानीय निकाय द्वारा आरोपित किया जायेगा उसे उक्त अनुपात के अनुसार प्रत्येक पक्ष अदा करने का उत्तरदायी है व होगा। प्रस्तावित अपार्टमेंट में स्थित फ्लैट के विक्रय के बाद फ्लैट के क्रेतागण द्वारा एक सोसाइटी का गठन किया जायेगा तथा सोसाइटी के नियम के तहत कामन सुविधाओं के रख-रखाव का खर्च सोसाइटी द्वारा वहन किया जायेगा व सोसाइटी के नियम व शर्तों का अनुपालन करने के लिए फ्लैट के क्रेतागण बाध्य होंगे।

16. यह कि डेवलपर एग्रीमेंट में वर्णित अपार्टमेंट के निर्माण के पश्चात उक्त अपार्टमेंट में द्वितीयपक्ष कोई अतिरिक्त तल का निर्माण नहीं करेगा और यदि जब कभी भी ऐसी कोई आवश्यकता अतिरिक्त तल बनाने की होगी तो प्रथमपक्ष की

Signature
[Fingerprint]

n. jais
[Fingerprint]

For M.M. Agrotech & Developers

Signature
Partner

[Fingerprint]

9771813 2213
2212

कय के
स्टाम के

के
अक्षर

स्टाम की धनराशि 10007

विशेष स्थल तहसील परिसर-चन्दीली

अक्षर

स्टाम तिकित व जिला-चन्दीली
नाइसेन्स नं 138 अक्ट 31 15



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Y 298565

(12)

- सहमति से ही कोई अतिरिक्त तल का निर्माण किया जा सकेगा।
17. यह कि प्रथम पक्षगण को प्राप्त होने वाला हिस्सा उसी मानदंड और स्तर का होगा जैसा द्वितीय पक्ष को प्राप्त होने वाले हिस्से का होगा। दोनों पक्षों के हिस्सों का निर्माण एक रूप होगा।
18. यह कि इस अनुबन्ध से पक्षगण के बीच कोई साझेदारी नही उत्पन्न हो रही है।
19. यह कि प्रथम पक्षगण एवं द्वितीय पक्ष के मध्य इस इकरारनामों के सम्बन्ध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर विवाद का निस्तारण सम्मिलित रूप से आरबिट्रेटर नियुक्त कर किया जायेगा। ऐसे किसी विवाद की स्थिति में 'आरबिट्रेशन एण्ड रिकन्सीलेशन एक्ट 1996' के प्रावधानों के तहत उनका समाधान किया जायेगा।
20. यह कि इस दस्तावेज हाजा की तमाम शर्तें हम प्रथम पक्षगण व द्वितीयपक्षगण एवं उनके जायज कानूनी वारिसानों पर भी आयद व लाजिम होगी।

[Signature]


K. Jais


For M.M. Agrotech & Developers

A. K. Jais

Partner

9/7/2012

2214

1212

0 अंकित की तिथि ... कमा

अध्यक्ष द्वारा कमा ...

स्टाम्प केना को ...

...

स्टाम्प की ...

...

...

...

स्टाम्प ...

...



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Y 298566

(13)

21. यह कि इस वास्ते डेवलपर्स एग्रीमेंट हम पक्षगणों ने पढ़ व पढ़वाकर सुन व समझकर इसके प्रभाव कानूनी से पूरी तरह वाकिफ होते हुए लिख दिये कि प्रमाण रहे व समय पर काम आवे।

अनुसूची-प्रथम

जायदाद हस्ब तफसील जैल

आराजी नं0 512 मि0 रकबा 0.789 हे0 यानी 1 एकड़ 95 डिसमिल में से 25 डिसमिल स्थित मौजा गोधना, परगना घूस, तहसील व जिला चन्दौली।

पूरब : जमीन प्रथम पक्ष
पश्चिम : पक्की सड़क चकिया मार्ग
उत्तर : जमीन शबाना रहमान आदि
दक्षिण : जमीन अन्य का।

For M.M. Agrotech & Developers

Partner

9/7/2013

2215

मोहरा का स्थान...

स्टाम्प का प्रकार...

स्टाम्प क्रमांक...

2212

30/7/2013

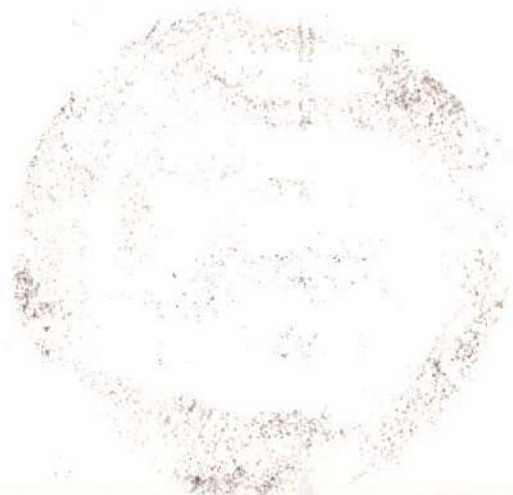
स्टाम्प की अवधि...

मोहरा स्थान तहसील परिसर-चन्दौली

अनिल कुमार

स्टाम्प निलेखा नं. 136 अवधि 31

01



भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20



Rs.20

TWENTY
RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-/4

17AA 373735

प्रथम पक्ष अनुसूचित/ अनुसूचित जन जाति

19/02/20

15. J. J. J.

For M.M. Agrotech & Developers

Aswani

Partner

26/7/84

2355

० लेख्य की तिथि... ..कमा

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन...

2352

स्टाम्प कला का प्रयोजन...

देव लाल गिल

इसरोवर

स्टाम्प की जानकारी...

231

विद्यार्थी स्वतंत्रता परिषद...

इसरोवर

प्रसिद्धि कृपा

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन...

आवृत्ति नं. 100 प्रतियों 31

18





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 013218

-15

के नहीं है, रुपये 1,84,340/- रुपये का स्टाम्प

Laksh

K. Jais

For M.M. Agrotech & Developers

Akash

Partner

26/7/2013

9353

व विषय का तिथि.....

स्टाम्प का करने का प्रयोजन.....

स्टाम्प केता का नं. ३५५५

डवलपुत विलेज

१५/२/१४

स्टाम्प की धनराशि.....

1207

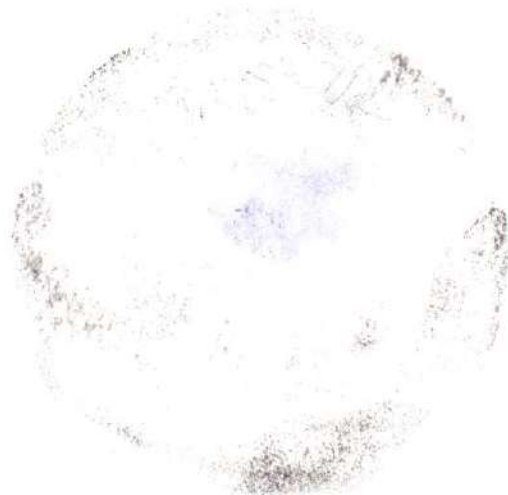
विषय स्थल तहसील परिसर-मुन्दीली

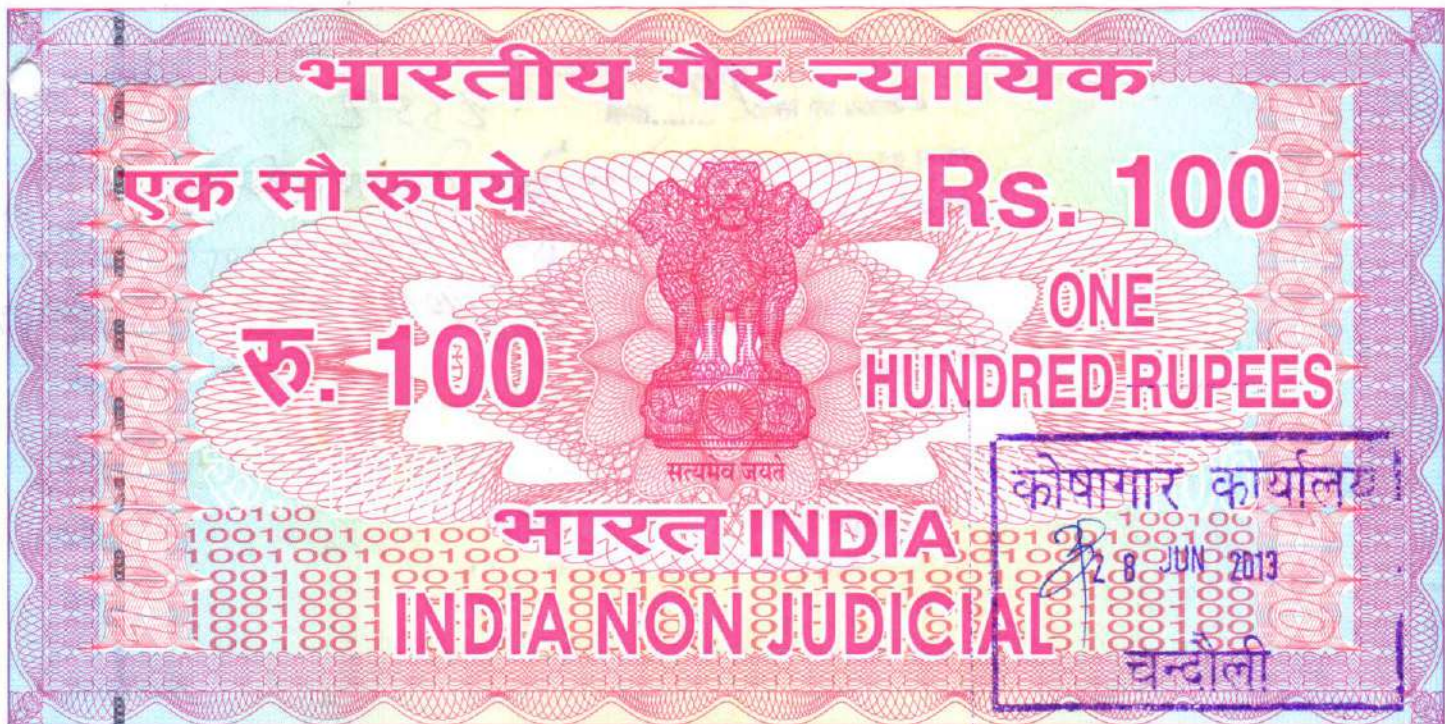
अनिल कुमार

स्टाम्प बिक्रेता १५० व जिला-चन्दीली

नाइसेन्स नं. 138 अवधि 31

DS





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-163-

BP 013217

अदत है ।

L. D. S.

K. Gaur

For M.M. Agrotech & Developers

A. Kumar

Partner

पत्रिका की तिथि: 28/7/2013

2352

५ विक्रय की तिथि: २०१७/१८

स्टाम्प क्रय करने का आयोजन...

सत्यमेव जयते

स्टाम्प की धनराशि

विशेष स्थल तहसील परिसर-नाम

~~विमान। उपलपन विवेक~~

~~एन व एम एम एल एन डी~~

१००१

21/10/18

अनिल कुमार

स्टाम्प विक्रेता (क) उ जिला-चन्दौली

જાહેસન્સ નં. 138 અવધિ 31

15



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 47

17AA 373734

सट्टा शुदा भूमि कृषि है ।

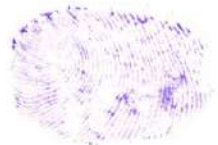
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

For M.M. Agrotech & Developers

[Handwritten signature]

Partner



26/7/2013 2352

१. निम्न की तिथि...

२. निम्न की तिथि...

३. निम्न की तिथि...

४. निम्न की तिथि...

५. निम्न की तिथि...

६. निम्न की तिथि...

७. निम्न की तिथि...

2352
26/7/2013
2352

29

13





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(1)

नोट :- स्टैम्प अदायगी के लिए मूल्यांकन, 25 डिसमिल यानी
1011.5 वर्गमीटर x 2600 = मु0 26,30,000/- रुपया
स्टैम्प नियमानुसार 7 प्रतिशत मु0 1,84,100/- का दिया
गया है। यद्यपि भूमि कृषि भूमि है।

गवाहान :-

1. नाम व हस्ताक्षर : जे.पी. मिश्रा *J.P. Mishra*
पिता का नाम : स्व0 श्यामजी मिश्रा
पता : कमच्छा, वाराणसी
2. नाम व हस्ताक्षर : *Manoj Chellie*
पिता का नाम : *Mr. Mukesh Chellie*
पता : *D 59/129 Sigra Varanasi*

तहरीर तारीख :- 10.07.2013 ई0

मसविदाकर्ता : *M. Singh* अधिवक्ता, दीवानी कचहरी, वाराणसी *Varanasi*

टाइपकर्ता :

M. Singh
K. Jais

For M.M. Agrotech & Developers

M. Singh Partner



० खाली की जगहों पर... ..

2212

4/13/2013 7:25

हृदय

अध्ययन की योजना

पञ्चांग तहसील परिसर-उपखण्ड

अनिल

स्टाम्प विक्रेता का पाला-बन्दीपी
अंक 31

माहसंख्या नं० 138 अर्थात् 31

15

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रिकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

चन्दौली

16/7/2013